

शामफल बनाम कुट्टू वगैरे
 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

11

फर्द अहकाम

मुनं 45714

दिनांक 3-7-14

शामफल पुत्र डुंजी जायव निवासी
 जोख तहसील टोडाभीम जिला कर्णोली
 वाडी
 बनाम

कुट्टू पुत्र डुंजी जायव निवासी
 जोख तहसील टोडाभीम, जिला कर्णोली
 डावा स्थायी निषेधाज्ञा केंवारा

वाडी की ओर से सी विनाय भारतीय
 इंजीनियर ने डावा वावत केंवारा स्थायी
 निषेधाज्ञा पेश किया। रिपोर्ट का
 कावचीकन किया गया। डावा डुंजी
 इन्जिनियर हो 22-7-14 को पेश हो।

1571-73

4-2-14

उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (कर्णोली)

22/14 बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है।
 प्रतिवादीगण क्वजुद सूचना उपनही है। P.O.
 साइब करौली पीठिंग में पधारे है। वास्तु अगिप्त
 आदेश दिनांक 26.8.14 को पेश हो।

8/14 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन
 रखा गया है। पीजसन अधिकारी... भासाक्षात सिपि...
 है। गतानुसार दिनांक... 16.9.14 को पेश हो।

10/14 वादी वकील उपन प्रतिवादी नं. 3 का क्वजुद सूचना उपस्थित
 नहीं होने पर उनके विकल एक पक्षीय कार्यवाही की
 जाती है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओर से सी...

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

न्यायल पेशी फर्द अहकाम

8/3 पत्रावली पेश हुई / वकूलाय उप / पो सां चुना 9
कार्य में व्यस्त है / गतानुसार दिनांक 6-8-15 को
पेश हो।

6-8-15 वकूलाय उप / वास्ते जायगी तब ही पात दि. 4-9-15 को
पेश हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करीली)

2/15 वकूलाय उपरिसे पीठासन अधिकारी...
हे। गतानुसार दिनांक 9-10-15 को पेश हो।

9/15 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित
नहीं। प्रतिवादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी
वकील ने इतराज किया कि वादी वकील
उपस्थित नहीं है। इसलिए डावा खारिज
किया जावे। कई बार कावाज दिखाई
गई। इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित
नहीं। इसलिए डावा कादम खारिजी
कादम खारिजी से खारिज किया जाता है।
पत्रावली पेशावक़्त से नखर के काम
की जाफ़ दाखिल इतर है।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करीली)